

WESTERN RAILWAY

P.S.No.66/2014

Headquarter Office,
Churchgate, Mumbai-20

No. E(R&T)120/10 Vol.XX

Date: 18.07.2014

To,
All DRMs / CWMs & Units Incharge,
C/- Genl. Secy., WREU-GTR / WRMS-BCT.
C/- ZS-All India SC/ST Rly Employees. Assn, 'W' Zone, Mumbai
C/- ZS-All India OBC Rly Empl. Assn, Mumbai.

Sub: Forwarding of Gazette Notification No.G.S.R.158(E) & GSR
No.159(E) dated 04.03.2014.

=====

A copy of Railway Board's letter No.E(MPP)2013/6/7 dated 05.06.2014
(R.B.E.No.61/2014) is sent herewith for information, guidance and
necessary action.

Encl: As above.


(Neha Gupta)
APO(R&T)
For General Manager (E)



GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

RBE No. 61/2014

No.E(MPP)2013/6/7

New Delhi.

dated: 05.06.2014

The General Managers (P)
All Indian Railways and
Production Units.

Sub: Forwarding of Gazette Notification No.G.S.R.158 (E) & GSR No.159(E)
dated 04.3.2014.

A copy of the notification No. G.S.R.158(E) & GSR No.159(E) dated 04.3.2014
published in Part II, Section 3, Sub-Section (i) of the Gazette of India regarding providing
rebate in the period of Apprenticeship Training to ITI graduates of the State Council for
Vocational Training, Lakshadweep under Apprentices Act, 1961 is enclosed for information,
guidance and necessary action.

Please acknowledge receipt.

DA:As above


05/06/14
(Anuradha Singh)
Director (MPP)
Railway Board.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं. 61 /2014

सं. ई(एमपीपी)2013/6/7

नई दिल्ली, दिनांक: 05-06-2014


महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी भारतीय रेल एवं
उत्पादन इकाइयाँ।

विषय:- दिनांक 04.03.2014 की राजपत्र अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 158 (ई) एवं
जी.एस.आर सं.159(ई) को अवैधित करना।

अप्टेंटिसिज एक्ट, 1961 के अंतर्गत राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, लक्षद्वीप के
आईटीआई स्नातकों के लिए अप्टेंटिसशिप प्रशिक्षण की अवधि में छूट प्रदान करने के बारे में भारत के
राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित दिनांक 04.03.2014 की अधिसूचना सं.
जी.एस.आर. 158 (ई) एवं जी.एस.आर सं.159 (ई) की प्रति सूचना, मार्गदर्शन और आवश्यक कार्रवाई
के लिए संलग्न है।

कृपया पावती दें।

संलग्नक: चयनकृत


(अनुराध सिंह)
निदेशक (एमपीपी)
रेलवे बोर्ड.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 111]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 6, 2014/फाल्गुन 15, 1935

No. 111]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 6, 2014/PHALGUNA 15, 1935

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(रोजगार और प्रशिक्षण महाविद्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2014

सा.का.वि. 158(अ).—केंद्रीय सरकार, शिक्षा अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 37 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय शिक्षा परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् शिक्षा नियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शिक्षा (संशोधन) नियम, 2014 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. शिक्षा नियम, 1992 की अनुसूची 1ख में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

सारणी

बोर्ड/राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद्/अन्य प्राधिकरण	व्यवसाय परीक्षण/परीक्षा	व्यवसाय/विषय क्षेत्र	व्यवसाय शिक्षा के प्रदर्शन में व्यवसाय	शिक्षा प्रशिक्षण की अवधि
1	2	3	4	5
राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्, लघुद्वीप	शिल्पकार के लिए व्यवसाय परीक्षण	राज भवन निर्माण डेक्रेटर	राज भवन निर्माण डेक्रेटर	1½ वर्ष
		प्लम्बर	प्लम्बर	2½ वर्ष
		कम्प्यूटर अपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक	कम्प्यूटर अपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक	1½ वर्ष

1022-G/2014

(1)

	इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक	इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक	2 वर्ष
	इलेक्ट्रीशियन	इलेक्ट्रीशियन	2 वर्ष
	फिटर	फिटर	2 वर्ष
	वेल्डर (गैस और विद्युत)	वेल्डर (गैस और विद्युत)	1½ वर्ष
	टर्नर	टर्नर	2 वर्ष
	आंतरिक मज्जाघार और रूपांकन	आंतरिक मज्जाघार और रूपांकन	1½ वर्ष
	मैकेनिक रेफ्रिजरेशन और वातानुकूलन	रेफ्रिजरेशन और वातानुकूलन मैकेनिक	2 वर्ष
	मैकेनिक (दुपहिया की परम्पत और अनुरक्षण)	मैकेनिक (दुपहिया की परम्पत और अनुरक्षण)	09 मास
	भवन अनुरक्षण	भवन अनुरक्षण तकनीशियन	09 मास
	शिलाकार चाच उत्पादन (साधारण)	चाच उत्पादन शिशु (साधारण)	2¼ वर्ष

[फा. स. डीजीईटी-23(1)/2007-एपी]

आलोक कुमार, महाविदेशक/संयुक्त सचिव

पाठ दिग्गमः—मूल नियम, संख्यांक मा.का.नि. 356, तारीख 15 जुलाई, 1992 में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन संख्यांक मा.का.नि. 75(अ), तारीख 8 फरवरी, 2012 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
(Directorate General of Employment and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2014

G.S.R. 158(E). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 37 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), the Central Government, after consulting the Central Apprenticeship Council hereby makes the following rules further to amend the Apprenticeship Rules, 1992, namely—

- (1) These rules may be called the Apprenticeship (Amendment) Rules, 2014.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Schedule I-B to the Apprenticeship Rules, 1992, after the existing entries, the following entries shall be inserted, namely:—

TABLE

Board/State Council for Technical Education/Other Authority	Trade Test/ Examination	Trade/Subject fields	Trade(s) in the category of Trade Apprentices	Period of Apprenticeship Training
1	2	3	4	5
State Council for Vocational Training, Lakshadweep	Trade Test for Craftsmen	Mason Building Constructor	Mason Building Constructor	1½ years
		Plumber	Plumber	2½ years
		Computer Operator and Programming Assistant	Computer Operator and Programming Assistant	1½ years
		Electronics Mechanic	Electronics Mechanic	2 years
		Electrician	Electrician	2 years
		Fitter	Fitter	2 years
		Welder (Gas and Electric)	Welder (Gas and Electric)	1½ years
		Turner	Turner	2 years
		Interior Decorator and Designing	Interior Decorator and Designer	1½ years
		Mechanic Refrigeration and Air Conditioner	Refrigeration and Air Conditioning Mechanic	2 years
		Mechanic (Repairs and Maintenance of Two Wheelers)	Mechanic (Repair and Maintenance of Two Wheelers)	09 months
		Building Maintenance	Building Maintenance Technician	09 months
Craftsman Food Production (General)	Apprentice Food Production (General)	2½ years*		

[F. No. DGET-23(1)/2007-AP]

ALOK KUMAR, Director General/Jt. Secy.

Footnote:—The principal rules were published vide number G.S.R. 356, dated the 15th July, 1992 and last amended vide number G.S.R. 75(F), dated the 8th February, 2012.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2014

सा.का.नि. 159(अ).—केंद्रीय सरकार, शिक्क अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 6 के खंड (कक) के साथ पठित, उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय शिक्कता परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् उक्त अधिनियम के धारा 2 के लिए नीचे सारणी के स्तंभ 2 में उल्लिखित व्यवसाय परीक्षण या परीक्षा की बाबत उक्त सारणी के स्तंभ 3 की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित व्यवसायों या विषयों सहित, उसके स्तंभ 1 में उल्लिखित राज्य तकनीकी शिक्षा परिषदों को चिन्हित करती है, अर्थात् :—

सारणी

घोड़े/राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद्/अन्य प्राधिकरण	व्यवसाय परीक्षण/परीक्षा	व्यवसाय/विषय क्षेत्र
1	2	3
राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्, लक्ष्मीपुर	शिल्पकार के व्यवसाय परीक्षण	राज भवन निर्माण ठेकेदार प्लम्बर कम्प्यूटर आपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन फिटर वैल्डर (गैस और विद्युत) टर्नर आंतरिक सज्जाकार और स्पाकर मैकेनिक रेफ्रिजेशन और वातानुकूलन मैकेनिक (दुपहिया की मरम्मत और अनुरक्षण) भवन अनुरक्षण शिल्पकार खाद्य उत्पादन (साधारण)

[फा. सं. डीजीईटी-23(1)/2007-एपी.]

आलोक कुमार, महानिदेशक/संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2014

G.S.R. 159(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of Section 2 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961) read with clause (aa) of section 6 of the said Act, and after consulting the Central Apprenticeship Council, the Central Government hereby specifies for the purposes of the said Act, the State Councils for Technical Education mentioned in column 1 of the Table given below in respect of the Trade Test or Examination mentioned in column 2.

TABLE

Board/State Technical Other Authority	Council for Education/	Trade/Subject fields
1	2	3
State Council for Vocational Training, Lakshadweep	Trade Test for Craftsmen	Mason Building Constructor Plumber Computer Operator and Programming Assistant Electronics Mechanic Electrician Fitter Welder (Gas and Electric) Turner Interior Decorator and Designing Mechanic Refrigeration and Air Conditioner Mechanic (Repairs and Maintenance of Two Wheeled) Building Maintenance Craftsman Food Production (General)

[F. No. DGET-23(1)/2007-AP]

ALOK KUMAR, Director General Jt. Secy.

1022 GI/14-2